Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

21:12.17

परिवादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित। आरोपीगण अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है। परिवादी अधिवक्ता ने अभियुक्त को फरार घोषित कर उसे स्थायी

गिरफतारी वारंट से आहूत किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी प्रकरण में लम्बे समय से अनुपस्थित हैं। प्रकरण में अभियुक्त उपस्थित नहीं हो रहा है जबकि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एवं माननीय सत्र न्यायालय में कार्यविही किये जाने से प्रकरण की जानकारी होने का तथ्य स्पष्ट होता है। अभियुक्तगण अपनी उपस्थित से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है। निकट भविष्य में आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की सम्मावना भी प्रकट नहीं होती। परिवादी की ओर से घारा 299 दं०प्र० संं अधीन अन्य साक्ष्य प्रस्तुंत नहीं करना व्यक्त किया है। अतएव ऐसी स्थिति में आरोपी को दंप्रसं की घारा 299 के अंतर्गित फरार घोषित किया जाता है। उनके विरूद्ध स्थाई बेमियादी गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित थाना प्रमारी मौ को मेजा जावे विशेष संदेश वाहक से तामील कराई जाने संबंधी टीप अंकित की जावे।

पुलिस अधीक्षक भिण्ड को भी स्थाई वारण्ट की सूची भेजी जाकर आरोपी की उपस्थिति को सुनिश्चित कराया जावे।

प्रकरण का अमिलेख लाल स्याही से सुरक्षित रखे जाने का निर्देश लिखा जाकर अमिलेखागार मेजा जावे।

स्थाई वारण्ट के पालन में आरोपी के उपस्थित होने पर परिवादी को न्यायालय द्वारा सूचनापत्र मेजा जावे। वारंट पर प्रकरण सी0आई0एस0 नंबर का स्पष्ट विवरण किया जावे।

अमिय्क्त के प्रथम उपस्थिति हेतु गिर0 वारंट जारी होने की दशा में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे। परिवादी अधिवाता अपना एवं परिवादी का मोबाईल नंबर या टेलीफोन नंबर व ईमेल यदि हो तो अमिमाषक पत्र में उल्लेखित कराएं। थाना प्रमारी को इस आशय का जापन मेजा जाये कि स्थाई वारंट को रोजनामचा सान्हा पर अंकित करें तथा अपना प्रतिवेदन मय रोजनामचा की सत्यापित प्रति के साथ भेजे।

प्रकरण परिणाम दायरा पंजी में दर्ज हो उक्त निर्देश के साथ अमितेख अमिलेखागार में जमा हो।

> Judicial Magnetiate First Class Gohad distt. Bhind (M.P.)

